

फर्द अहकाम

(नियम 13)

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी
हलका सिणधरी

बनाम

श्री सुराराम

पुत्र श्री प्रवासराम जाति काली

निवासी - कुकली की डाण

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 0.6 वर्ष 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिल की
31-3-2021	पटवारी हलका <u>सिणधरी</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् <u>2022</u> में मौजा <u>सिणधरी</u> के खसरा नंबर <u>61</u> रकबा <u>0.0290</u> किस्म भूमि <u>डी.क्यू. 4</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>16-4-2021</u> को बमुकाम सिणधरी में पेश हों। <p style="text-align: right;"><u>तहसीलदार सिणधरी</u> <u>जिला-बाड़मेर</u></p>	
16-4-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब देते सायल न्याया को दिनांक 23-4-2021 को पेश है। <p style="text-align: right;"><u>तहसीलदार सिणधरी</u> <u>जिला-बाड़मेर</u></p>	
29-4-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब देते भवतर दिनांक 13-5-2021 को पेश है। <p style="text-align: right;"><u>तहसीलदार सिणधरी</u> <u>जिला-बाड़मेर</u></p>	

सुराराम

13-5-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल अनुपात्त।
गैर साफल को जवाब हेतु अवसर दिनांक 28-5-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

28-5-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल अनुपात्त।
गैर साफल को जवाब पेश करने हेतु कई
बार अवसर दिये जाने के बावजूद कोई
जवाब पेश नहीं किया, गैर साफल को अतिरिक्त
मानते हुए पत्रावली फलतः सुधार है।
निर्गम अलग से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली है। निर्गम कुले-याचालम के
सुनाम गमा। पत्रावली फलतः सुधार
होकर मंकर से कम होकर दाखिल
दफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

वर्ष 2021-22 के राजस्व लेखा पंक्ति नं. 4 के
मु.सं. 1.5 पर क्र.सं. 0.5 पर जुमाना/कसल
दिलामी राशि रु. 50/- की मांग दर्ज की गई।

M. Dy
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी

न्यायालय तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

मुकदमा नम्बर-06 /2021

संवत्:- 2078

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

अशराम बप्पू भगवाराठ

पटवारी हल्का सिणधरी

कलबी शकरी की दावा

निर्णय

दिनांक:- 28/5/2021

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी सिणधरी ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया। कि गैर सायल ने संवत् 2077 में राजस्व ग्राम सिणधरी के खसरा नम्बर 6.1 में कुल रकवा 624.01 बीघा किस्म भूमि 0.000000 में से रकवा 0.6290 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को नोटिस तलब किया गया। पेशी तिथि पर गैर सायल अनुपस्थित।

गैर सायल बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित अतः गैर सायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

चूकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है जिस पर गैर सायल द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना साबित होता है।

ऐसी अवस्था में गैर सायल को राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी मूतनाजा से वेदखली के आदेश दिये हैं। गैर सायल के इस कृत्य के लिए उनके विरुद्ध वार्षिक भू- राजस्व लगान 0.66 रूपये का राउण्ड अप 0.66 रूपये का 50 गुणा अर्थात् 50 रूपये (अक्षरे 0.66 रूपये) का जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया जाता है। गैर सायल से वसूल किया जावे।

हल्का पटवारी गैर सायल को उक्त आराजी से भौतिक रूप से वेदखलकर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त करे। तथा कब्जा प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करें। निर्णय की क्रियान्वित मांग कायमी हेतु तराले/भू.अ. निरीक्षक/पटवारी हल्का आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।


तहसीलदार सिणधरी
जिला बाड़मेर